

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

क्र. नं. 111

तारीख रज्ज 7-1-11

उपवान- लुडीराम बनाम सरकार

दावा श्रमक इस्तकारारब्क (इन्डाज डुरुस्ती)

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट ने दावा श्रमक इस्तकारारब्क (इन्डाज डुरुस्ती) पेश किया। अवलोकन किया। दावा दर्ज रजिस्टर करे। जरिमे सम्पन्न प्रतिवादी तालक का पत्रावली दिनांक 3.2.11 को पेश हो

91-95

12-1-11

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (कगौनी)

उ०३॥ वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 4 की ओर से R.B. Gupta Adv. द्वारा पेश किया। नं० 2, 5 की ओर से उपस्थित। उपस्थित वकील उनके पेश किए गए कार्यवाही अग्रिम में लगे जाते हैं। प्रतिवादी नं० 1, 3 के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं० 4 एवं इन्कार वाला प्रतिवादी नं० 1, 3 हैं। 14/3/11 को पेश हो

14/3/11 वादी पक्षों द्वारा भाडुवाली कार्य का अहिकार पेश किया। प्रतिवादी नं० 1, 3 के पत्रावली दिनांक 22/3/11 को पेश हो।

28/3/11 वादी पक्षों द्वारा प्रतिवादी नं० 1, 3 के पत्रावली दिनांक 28/3/11 को पेश हो।

31/3/11 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं० 1, 3 एवं इन्कार वाला प्रतिवादी नं० 1, 3 हैं। 29/4/11 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक

23.5.18

बेशोकरा

तुहीरा

लक्ष्मीनारायण (करोली)
 न्यायालय टोडाभीम (करोली)

पत्रावली राजस्व लोक आदालत-पाथ
 ठेगपके द्वारा कम्प जगदीशपुरा मे घेरा डुरी
 वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित / प्रकल मे
 राजीनामा कर वादी ने दावा खाजि के
 का कपन कर सहमति स्वरुप हस्ताक्षर
 किये / जिसपर यह दावा Not Press
 में खाजि किया जाता है पत्रावली केवल
 शुभ्रा होकर नम्बर से कम होकर दायित्व
 दफता है।

उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करोली)